

फर्द अहकाम

(नियम-28)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी

बनाम



अप्रार्थीगण वगैरह

सोहनलाल वगैरह

तिलोकराम वगै०

किरम प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 61/2016

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
09/06/16	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपटित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सीपीसी के तहत वकील श्री इन्द्र सिंह ने पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे आगामी आदेश तक मौजा बरसूणा के विवादित खसरा नं. 481/316 रकबा 07.12 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु डाक खर्च मय लिफाफा पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 04.07.2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>सहायक कलक्टर</b>              (एस. डी. एम.) जायल (नागौर)         </p> <p style="text-align: center;"> <b>नागौर/पट्टाकाराज के अधीन</b>              4/21/16              नोटिस जारी करने के दिनांक में प्रत्यक्ष              प्रकरण पर पेश हुए 2. वगैरह प्रकरण              इनके मसदा दिनांक 21/7/16 के              संलग्न करें         </p> <p>             21/7/16 तकुलाय अज् अदालत के              सम्मन वाद तामील नही होते              पत्रावली दिनांक 21/7/16 को पेश हो         </p> <p style="text-align: right;">  </p>	

# FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)

(नियम 28)

न्यायालय उपरकोट अधिकारी जाफल

सोहनलाल

बनाम तिलोकराम

प्रकरण की किस्म प्रापना पत्र

प्रकरण की संख्या

61 वर्ष 2016

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
21.5.18	<p>प्रापनी सोहनलाल से प्रापना पत्र पेश कर विवेदन किया कि मैं प्रापना पत्र को भंगे नहीं चलाना चाहता हूँ इसलिए प्रापनी को प्रापनी पर ली जाकर आज ही पुनर्जांच प्रापनी के विवेदन पर आज प्रापनी को प्रापनी पर ली जाई प्रापनी के एक प्रापना पत्र पर एक विवेदन किया कि मैं प्रापना पत्र सं. 61/2016 बनवाने सोहनलाल बनाम तिलोकराम के भंगे नहीं चलाना चाहता हूँ। इसलिए प्रापना पत्र को जरिअ विद्रोम शर्तों पर अटिजा जावे। प्रापनी की प्रापना पत्र प्रापना पत्र जरिअ विद्रोम शर्तों पर अटिजा जावे। प्रापनी के मत मुझ टोकर नम्बर के कम होकर अफतार दामिद हो।</p>	<p>सं-नि. 2018/116-जाफल          16/21/2018/2          UDC          OSD (JL) BOR          MR Jadhav</p>